2024

प्रश्न: प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे। विवेचना कीजिये। (150 शब्द 10 अंक)

The Doctrine of Democratic Governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. Discuss.

उत्तर: प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें शासकीय संस्थाएँ प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं, विनियमों और मानदंडों के आधार पर कार्य करती हैं तथा लोगों एवं शासन करने वालों के बीच विश्वास में वृद्धि करती है।

प्रजातांत्रिक शासन में सकारात्मक लोक धारणा के लिये लोक सेवकों से कुछ मानकों की अपेक्षा की जाती है

- **जवाबदेही:** अपने कार्यों की ज़िम्मेदारी लेना और सामान्य जन के प्रति जवाबदेह होना। जैसे- सामाजिक लेखा परीक्षा।
- **निष्पक्षता:** सभी नागरिकों के साथ समान और बगैर किसी पक्षपात के व्यवहार करना, सेवा प्रदायगी में न्याय सुनिश्चित करना। उदाहरणार्थ, सबका साथ सबका विकास।
- **पारदर्शिता:** प्रक्रियाओं, निर्णयों और नीतियों के संबंध में सुस्पष्ट तथा सुलभ जानकारी प्रदान करना। उदाहरणार्थ, सूचना का अधिकार अधिनियम।
- **उत्तरदायित्व:** नागरिकों की आवश्यकताओं, चिंताओं और फीडबैक को ध्यान से तथा शीघ्रता के साथ संबोधित करना। जैसे- सिटीजन-चार्टर।
- **नैतिक आचरण:** सख्त आचार संहिता का पालन करना और भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग से बचना। जैसे- आचार संहिता।
- **व्यावसायिकता:** अपनी भूमिकाओं में क्षमता, समर्पण और सम्मान का प्रदर्शन करना। COVID-19 टीकाकरण अभियान की सफलता।
- **सहानुभूति:** समुदाय की विविध आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों को समझना तथा उनका मूल्यांकन करना। उदाहरण के लिये, विशेष रूप से सक्षम लोगों की आवश्यकताओं को संबोधित करना।
- **सहयोग:** शासन को बढ़ाने के लिये नागरिकों समेत विभिन्न हितधारकों के साथ कार्य करना। जैसे- स्वच्छ भारत अभियान।
- **लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता:** समुदाय के हित को प्राथमिकता देना और लोक कल्याण में सुधार के लिये प्रयास करना।

हालाँकि भ्रष्टाचार, नौकरशाही जड़ता, पारदर्शिता की कमी और अप्रभावी संचार जैसी चुनौतियाँ लोक विश्वास को समाप्त कर सकती हैं।

निष्कर्ष: लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति सकारात्मक लोक धारणा प्राप्त करने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो जनता के अविश्वास के मूल कारणों और उसमें वृद्धि करने की रणनीतियों दोनों को संबोधित करता है। सुशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिये निरंतर प्रयासों के माध्यम से ही सरकारें प्रजातांत्रिक संस्थाओं की वैधता तथा प्रभावशीलता सुनिश्चित कर सकती हैं।

प्रश्न: नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिये नागरिक अधिकार-पत्र पर एक ऐतिहासिक पहल रही है। किंतु इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचना बाकी है। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिये और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइये?

(250 शब्द, 15 अंक)

The Citizens' charter has been a landmark initiatice in ensuring citizen-centric administration. But it is yet to reach its full potential. Identify the factors hindering the realisation of its promise and suggest measures to overcome them.

उत्तर: नागरिक अधिकार-पत्र एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य लोक सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में वृद्धि करना है। नागरिक अधिकार-पत्र के समन्वय, निर्माण और संचालन का कार्य प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा किया जाता है।

नागरिक अधिकार-पत्र के क्रियान्वयन में बाधा डालने वाले कारक/चुनौतियाँ

- अनेक नागरिक नागरिक अधिकार-पत्र के अस्तित्व या इसके द्वारा उन्हें दिये गए अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ हैं, जो लोक प्राधिकारियों को जवाबदेह बनाने में असफल रहते हैं।
- नागरिक अधिकार-पत्र में सेवा मानकों का उल्लेख है, सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुपालन न करने पर दंडित करने के लिये सीमित प्रवर्तन तंत्र हैं।
- कुछ विभाग अपने अधिकार-पत्र में नियमित रूप से संशोधन नहीं कर रहे हैं। इससे असंगति और असमान सेवा प्रदायगी की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
- कई अधिकारी नागरिक अधिकार-पत्र को एक अतिरिक्त बोझ समझते हैं तथा इसके मानकों का पालन करने में अनिच्छा दिखाते हैं।
- नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण में सार्वजनिक अधिकारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण तथा नागरिक अधिकार-पत्र की समझ का अभाव इसके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालता है।

चुनौतियों पर काबू पाने हेतु उपाय

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने नागरिक अधिकार-पत्र की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये विभिन्न सिफारिशें प्रस्तावित कीं:
  - गैर-अनुपालन के लिये दंडात्मक उपायों को लागू करना, जैसे कि अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय दंड या अनुशासनात्मक कार्रवाई, जवाबदेही में सुधार कर सकती है।
  - अधिकार-पत्र में अधूरे वादों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत करने के बजाय, प्राप्त करने योग्य प्रतिबद्धताओं की सीमित संख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  - विभिन्न संगठनों में एक समान चार्टर सेवा प्रदायगी की प्रभावशीलता को कमज़ोर कर सकते हैं; इसलिये ऐसे अधिकार-पत्र विकसित करना आवश्यक है जो स्थानीय संदर्भों और विशिष्ट संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
  - जब नागरिक चार्टर में की गई प्रतिबद्धताएँ पूरी नहीं की जाती हैं तो अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिये, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वे अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करें और जनता का विश्वास बनाए रखें।
  - नागरिक अधिकार-पत्रों की निरंतर समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रासंगिक, प्रभावी बने रहें तथा जनता की बदलती आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप बने रहें।
  - अधिकार-पत्र के निर्माण से पहले, संगठन को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये अपनी संरचना और प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करना चाहिये।

निष्कर्ष

नागरिक अधिकार-पत्र में पारदर्शिता, दक्षता और नागरिकों पर ध्यान केंद्रित करके शासन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। हालाँकि इस क्षमता को साकार करने के लिये जागरूकता बढ़ाने, बेहतर जवाबदेही, प्रभावी प्रशिक्षण और नागरिक आवश्यकताओं पर केंद्रित संस्कृति को बढ़ावा देने के माध्यम से क्रियान्वयन चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है।

प्रश्न: ई-गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैत्यिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है। इसमें पारदर्शिता और जवाबदेयता को सुनिश्चित करने के लिये विविध प्रकार की अंतरक्रियाएँ भी हैं। इस संदर्भ में ई-गवर्नेन्स के 'इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल' का मूल्यांकन कीजिये। **(250 शब्द 15 अंक)**

e-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context evaluate the role of the 'Interactive Service Model' of e-governance.

उत्तर: ई-गवर्नेंस सरकार/राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों को सेवा प्रदायगी हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग है। जैसे डिज़िलॉकर, लाइफ सर्टिफिकेट, मोबाइल सर्विस आदि। ई-गवर्नेंस का इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल एकतरफा सेवा प्रदायगी को अंतर्क्रियाओं में परिवर्तित करता है, जिससे नागरिकों को अपनी चिंताएँ व्यक्त करने और निर्णयन में भाग लेने का अवसर मिलता है।

पारदर्शिता और जवाबदेयता सुनिश्चित करने में इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल (ISM) की भूमिका

- **दो-तरफा प्रेषण:** भारत में MyGov प्लेटफॉर्म जैसी पहल नागरिकों और सरकार के बीच प्रत्यक्ष अंतर्क्रियाओं को सक्षम बनाती है, जिससे सहभागिता के साथ-साथ विभिन्न प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा मिलता है।
- **सूचना तक पहुँच:** सूचना का अधिकार जैसी व्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल जैसे पोर्टल नागरिकों को व्यापक अद्यतन जानकारी प्रदान करते हैं।
- **शिकायत निवारण:** केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) जैसी प्रणालियाँ नागरिकों को समस्याओं की रिपोर्ट करने तथा त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती हैं।
- **नागरिक सहभागिता:** "भागीदारी" जैसे कार्यक्रम शासन में सक्रिय नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे जनता और सरकार के बीच की भागीदारी सुदृढ़ होती है।
- **प्रतिक्रिया (फीडबैक) तंत्र:** कर्नाटक की भूमि (सॉफ्टवेयर) जैसी परियोजनाएँ डिजिटल भूमि अभिलेखों पर नागरिकों का रीयल टाइम फीडबैक प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे सेवा प्रदायगी के संदर्भ में जवाबदेयता में वृद्धि होती है।
- **पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** सामाजिक लेखा परीक्षा (सोशल ऑडिट) जैसी पहल, जिसमें मेघालय राज्य सामाजिक लेखा परीक्षा कानून पारित करने वाला पहला राज्य है, में शासकीय प्रक्रियाओं में ग्रहणशीलता बढ़ाना तथा जनता के बीच विश्वास स्थापित करना शामिल है।

यद्यपि इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी तक असमान पहुँच (शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच 67% जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 31%), नवीन प्रणालियों को अपनाने में नौकरशाही का विरोध तथा डाटा गोपनीयता संबंधी (जो नागरिक भागीदारी को सीमित कर सकती हैं) चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष: ई-गवर्नेंस के इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल की चुनौतियों से निपटने के लिये सरकार को ग्रामीण कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल अंतराल को खत्म करना चाहिये और डाटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के साथ-साथ नौकरशाही सुधार को प्रोत्साहित करते हुए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक है। इससे ई-पारदर्शिता में वृद्धि होगी और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एवं सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाया जा सकेगा, जिससे प्रदायगी सेवाएँ सभी के लिये स्पष्ट और सुलभ होंगी।

2023

प्रश्न: अभिशासन के एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का आगाज़ कर दिया है। कौन-सी अपर्याप्तताएँ इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं? (150 शब्द 10 अंक)

e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features?

उत्तर: ई-गवर्नेंस का आशय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करना है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता में वृद्धि करने के साथ स्मार्ट प्रशासन को बढ़ावा देना है।

ई-गवर्नेंस के लाभ

- **प्रभावशीलता:** सेवा वितरण की लागत में कमी आने और पहुँच में सुलभता के कारण शासन की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है।
- **पारदर्शिता:** वर्तमान में अधिकांश सरकारी आवेदन और प्रक्रियाओं में ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाती है।
- **जवाबदेहिता:** वास्तविक समय में फाइलों और चल रही परियोजनाओं की जानकारी मिलने से जवाबदेहिता में वृद्धि होती है।

ई-गवर्नेंस की अपर्याप्तताएँ/सीमाएँ

- **अपर्याप्त कवरेज:** ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में अनुचित कवरेज से समाज के विभिन्न समूह इसके लाभों से वंचित रह जाते हैं।
- **डाउनटाइम:** खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली कटौती, सर्वर विफलता जैसी तकनीकी समस्याओं से अक्सर ई-गवर्नेंस प्रणाली की प्रभावशीलता में कमी आती है।
- **गोपनीयता:** हैकिंग के प्रति संवेदनशीलता के कारण इंटरनेट के उपयोग में गोपनीयता, हमेशा एक प्रमुख मुद्दा रहा है।
- **बुनियादी ढाँचे की लागत और रखरखाव:** इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नियमित उन्नयन की आवश्यकता होने से रखरखाव की लागत में वृद्धि होती है।
- **पहुँच:** अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने के लिये संचार स्थापित करना सुशासन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। लोगों के बीच डिजिटल साक्षरता का स्तर निम्न होने से यह एक चुनौती बनी रहती है।

हालाँकि ई-गवर्नेंस समाज के लिये एक वरदान है लेकिन सभी के लिये समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्रम में इसकी सीमाओं संबंधी समाधान पर बल देना चाहिये।

2022

प्रश्न: गतिशक्ति योजना संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिये। (150 शब्द 10 अंक)

The Gati-Shakti Yojana needs meticulous co-ordination between the government and the private sector to achieve the goal of connectivity. Discuss.

उत्तर: PM गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत् विकास के लिये एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, जिसमें सात घटकों-रेलवे, सड़कें, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन, लॉजिस्टिक अवसंरचना को शामिल किया गया है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के एक साथ प्रयास करने एवं सभी के लिये रोज़गार उद्यमशीलता इत्यादि जैसी विशेषताएँ शामिल हैं।

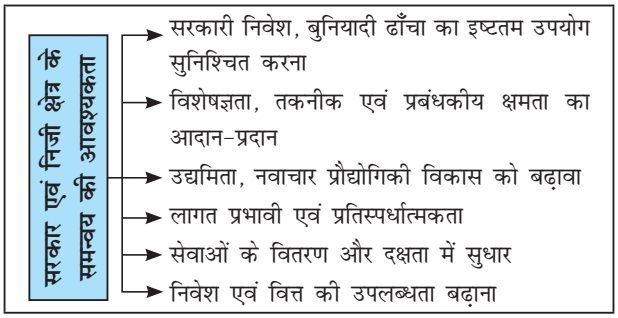

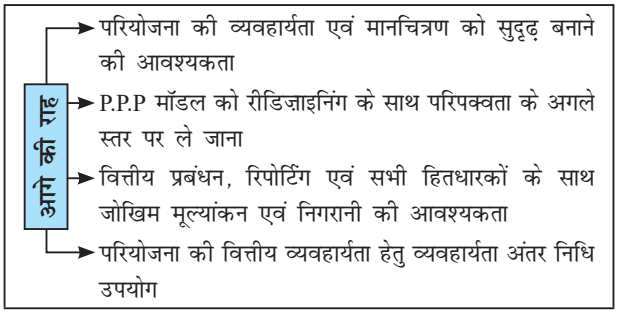

निष्कर्षत: राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में सभी घटकों से संबंधित परियोजनाओं को PM गति-शक्ति के साथ जोड़ा जाएगा, जो भारत के इंफ्रा द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद करेगा।

प्रश्न: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिये, किन आधारों पर किसी निर्वाचित को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन-सा उपचार उपलब्ध है? वाद विधियों के संदर्भ दीजिये। (250 शब्द 15 अंक)

Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under The Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void? What remedy is available to the aggrieved party against the decision? Refer to the case laws.

उत्तर: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 चुनावों के संचालन एवं चुनावों से उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटाने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

चुनावी विवादों को तय करने हेतु प्रक्रिया- यह प्रक्रिया या स्थानीय सरकार के चुनावों के परिणाम की वैधता की जाँच के लिये एक चुनाव याचिका दायर कर शुरू की जाती है।

- याचिका किसी भी उम्मीदवार या चुनाव से संबंधित मतदाता द्वारा व्यक्तिगत रूप से संबंधित उच्च न्यायालय में दायर की जाती है।
- चुनाव पर सवाल उठाने वाली याचिका परिणाम होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर दायर की जाती है।

उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को प्राप्त उपचार

उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक हेतु उच्चतम न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। SC पीड़ित पक्ष की याचिका के आधार पर उच्च न्यायालय के आदेश के संचालन पर रोक लगा सकता है।

उपचार

अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी मामले (1985) में अजहर हुसैन की याचिका को उच्च न्यायालय और SC दोनों ने रिटर्निंग उम्मीदवार के भ्रष्ट आचरण के आरोपों की पुष्टि करने वाले सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय के निर्णय के 30 दिनों के भीतर पीड़ित उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर

इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण वाद (1975) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भ्रष्ट आचरण के आधार पर चुनाव रद्द किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट से अपील उपरांत चुनाव को बरकरार रखा।

आगे की राह

- चुनाव के दिन जीतने वाला उम्मीदवार चुनाव लड़ने योग्य नहीं था
- चुनाव जीतने वाले या उसके पोल एजेंट या जीतने वाले की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति ने भ्रष्ट आचरण किया है।
- विजेता उम्मीदवार की नामांकन की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति
- मतगणना प्रक्रिया में कदाचार, अनुचित तरीके से मत प्राप्ति, मान्य वोट को अस्वीकार करना या अमान्य वोट को स्वीकार आधार पर
- संविधान या आर.पी.ए. के प्रावधान, नियम, आदेशों का पालन न करना भी शामिल है।

निष्कर्षत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 भारतीय लोकतंत्र के कुशल संचालन व कामकाज हेतु महत्त्वपूर्ण है, जो सुव्यवस्थित चुनावों के संचालन पीड़ित पक्षों को आवश्यक निवारण तंत्र प्रदान करता है।

2021

प्रश्न: "भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।" समझाइये कि व्यवसाय संघ, सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं?

(150 शब्द 10 अंक)

"Pressure groups play a vital role in influencing public policy making in India." Explain how the business associations contribute to public policies.

उत्तर: किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की सफलता के लिये राज्य द्वारा लोगों के लिये बनाई जाने वाली नीतियों अर्थात् सार्वजनिक नीतियों का सफल होना बेहद अनिवार्य है। सार्वजनिक नीतियों के प्रक्रियागत स्वरूप को देखा जाए तो इसकी सफलता तीन स्तरों पर सुनिश्चित की जा सकती है। ये स्तर नीति का निर्माण, नीति का क्रियान्वयन व नीति के प्रभाव का मूल्यांकन हैं। इन तीन चरणों में से निर्माण के स्तर पर दबाव समूहों की प्रभावी भूमिका देखी जा सकती है।

नीति निर्माण को प्रभावित करने के लिये दबाव समूह नीति निर्माण प्रक्रिया में प्रतिस्पर्द्धा को जन्म देते हैं। साथ ही ये नीति निर्माण के दौरान संसाधनों व सुविधाओं पर दावा भी प्रस्तुत करते हैं। ये अपने हितों के अनुरूप नीति प्राथमिकता में भी अपना स्थान पाने का प्रयत्न करते हैं। ये वर्गीय अथवा विशिष्ट हितों को रेखांकित करने का भी प्रयत्न करते हैं। लोक नीति निर्माण के दौरान ये समूह अपने अनुभव व संसाधनों के माध्यम से भी योगदान देने का प्रयास करते हैं।

व्यवसाय संघों के विशिष्ट संदर्भ में बात की जाए तो भारत में ASSOCHAM, FICCI व CII जैसे व्यवसाय संघ उद्योग व वाणिज्य जगत के पक्ष में नीति निर्माण को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने हेतु वे औद्योगिक परिदृश्य की समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने, सरकार की आर्थिक नीतियों में उद्योग जगत हेतु लाभकारी प्रावधान करवाने, उद्योगों में नवाचार व अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयत्न करने तथा घरेलू व विदेशी बाज़ारों के मध्य संतुलन स्थापित करने हेतु सुझाव देने जैसे उपाय अपनाते हैं।

दबाव समूहों के नीति-निर्माण स्तर पर योगदान महत्त्वपूर्ण व सराहनीय है, परंतु यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि दबाव समूह नीतियों को आवश्यकता से अधिक प्रभावित करते हुए एक वर्ग के पक्ष में झुका हुआ न बना दें। साथ ही दबाव समूहों की नीति क्रियान्वयन व नीति मूल्यांकन के स्तर पर भी सक्रिय व सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिये।

प्रश्न: "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।" विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द 10 अंक)

"Besides being a moral imperative of a Welfare State, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development." Analyze.

उत्तर: 2012 में रियो में आयोजित किये गए संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास शिखर सम्मेलन में 'सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों' को 'सतत विकास लक्ष्यों' से प्रतिस्थापित किया गया था। इन लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है, जिससे धारणीय स्वरूप में विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इन लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धनता उन्मूलन, भुखमरी की समाप्ति, स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि शामिल हैं।

कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यताओं के बारे में यदि बात की जाए तो इसके अंतर्गत प्रशासन की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, जवाबदेही आदि मूल्य आधारभूत रूप से शामिल हैं। भारतीय संदर्भ में संविधान के भाग-4 के अंतर्गत वर्णित 'राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों' के माध्यम से भारत में कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की उद्घोषणा की गई है। साथ ही वे आयाम भी सुनिश्चित किये

गए हैं, जिनके माध्यम से भारत में यह सुनिश्चित किया जाएगा। इन आयामों के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ अनुच्छेद-42 व अनुच्छेद 47 के अंतर्गत क्रमशः मातृत्व लाभ तथा पोषण व लोक स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य को सौंपा गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मातृत्व लाभ पहलें टीकाकरण अवसंरचना, प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता आदि शामिल हैं। इन सभी स्तरों पर मज़बूती से कार्य किये जाने पर देश के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा, उत्पादकता, सामाजिक-आर्थिक स्तर, कौशल विकास आदि के संदर्भ में वांछित प्रगति सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का सशक्त आधार निर्मित होगा व सतत् विकास की पृष्ठभूमि तैयार होगी।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना सतत् विकास व कल्याणकारी राज्य की एक अनिवार्य पूर्व शर्त है। हालाँकि यह एकमात्र पूर्व शर्त नहीं है। सभी आधारों पर वास्तविक रूप में सतत् विकास सुनिश्चित करने व कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिये सतत विकास के अन्य लक्ष्यों पर भी समुचित ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। तभी एक मज़बूत प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना का लाभ नागरिकों तक पहुँचाया जा सकेगा।

प्रश्न: क्या नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन, आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिये लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिये। (250 शब्द 15 अंक)

Can Civil Society and Non-Governmental Organizations present an alternative model of public service delivery to benefit the common citizen? Discuss the challenges of this alternative model.

उत्तर: किसी देश में संपूर्ण प्रशासन का संचालन, लोक कल्याण, सरकारी पहलों का क्रियान्वयन तथा लोक सेवा की आम नागरिक तक पहुँच सरकार का प्राथमिक दायित्व है। हालाँकि यह समस्त कार्य केवल सरकार द्वारा दक्षता से सुनिश्चित किया जाना व्यावहारिक रूप से थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिये सरकारी पहलों व लोक सेवाओं की डिलीवरी के संदर्भ में समाज व गैर-संगठनों की भूमिका रेखांकित होती है।

लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत करने के संदर्भ में

सिविल सोसाइटी की भूमिका	गैर-सरकारी संगठन की भूमिका
❑ सिविल सोसायटी नीति निर्माण में प्रक्रिया, क्रियान्वयन व मूल्यांकन के स्तर पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना। ❑ लक्षित समूहों को चिह्नित करने, बेहतर क्रियान्वयन में सहायता करने व सटीक मूल्यांकन सरकार तक पहुँचाने में एक वैकल्पिक प्रतिमान स्थापित कर सकती है। ❑ किसी सरकारी पहल के संदर्भ में जागरूकता फैलाने में भी अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से एक वैकल्पिक भूमिका निभा सकती है। ❑ लोक सेवा प्रदायगी में भ्रष्टाचार की समस्या को न्यून करने में सहायता	❑ NGO सरकार के कार्यक्रमों में खामियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। ❑ दबाव समूह के रूप में कार्य करना ❑ सहभागी शासन में भूमिका ❑ सामाजिक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना

चुनौती

सिविल सोसाइटी	गैर-सरकारी संगठन
❑ भ्रष्टाचार और परिवारवाद ❑ सामाजिक हितों व राष्ट्रीय हितों से समझौता करने की आशंका ❑ अभिजात्य वर्ग से संबद्ध होना ❑ क्रोनी पूंजीवाद को बढ़ावा ❑ धन शोधन का माध्यम	❑ पारदर्शिता व जवाबदेही की कमी ❑ विवादास्पद विदेशी स्रोतों से फंडिंग ❑ कई गैर-सरकारी संगठनों को धन की हेरा-फेरी में लिप्त पाए जाने पर ब्लैकलिस्ट किया गया है।

उपर्युक्त चुनौतियों के बावजूद सिविल सोसाइटी और गैर-सरकारी संगठन सरकारी लाभों की लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम बन सकती है। इसके लिये सरकार को वे क्षेत्र स्पष्टता से निर्धारित करने होंगे, जिनके अंतर्गत सिविल सोसाइटी व गैर-सरकारी संगठन संचालित हो सकते हैं।

2020

प्रश्न: "सूचना का अधिकार अधिनियम में किये गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे।" विवेचना कीजिये। (150 शब्द 10 अंक)

"Recent amendments to the Right to Information Act will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission". Discuss.

उत्तर: प्रशासनिक व सार्वजनिक क्षेत्र के काम-काज में उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने, पारदर्शिता को बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार में कमी लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम में 2019 में कुछ संशोधन किये गए हैं–

आर.टी.आई सरकारी नीतियों, सूचनाओं एवं व्यय आदि की जानकारी आम नागरिकों को उपलब्ध कराकर लोकतंत्र में सहभागिता सुनिश्चित करता है, परंतु हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वतंत्रता, पारदर्शिता एवं स्वायत्तता को निम्न प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं।

- ❑ गोपनीयता की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी संभव
- ❑ यह आर.टी.आई. की मूल भावना के विपरीत
- ❑ राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अधिकारों का हनन
- ❑ यह सहकारी संघवाद में एक बाधा
- ❑ सूचना आयोग की कार्यप्रणाली प्रभावित
- ❑ केंद्रीय व राज्य सूचना आयुक्तों की प्राथमिकता जन कल्याण से हटकर नौकरी की सुरक्षा पर
- ❑ सूचना आयुक्तों की निष्पक्षता प्रभावित

अत: इस संशोधित अधिनियम से सरकार की जवाबदेहिता एवं आम जनता की शासन में सहभागिता में कमी आ सकती है, जो कि गुड-गवर्नेंस तथा लोकतंत्र के लिये हानिकारक है। इसलिये सरकार को सूचना आयोग की शक्तियों, स्वायत्तता और कार्यकाल को स्थायी बनाने के प्रयास करना आवश्यक है।

प्रश्न: "आर्थिक प्रदर्शन के लिये संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है।" इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिये।

(150 शब्द 10 अंक)

"Institutional quality is a crucial driver of economic performance". In this context suggest reforms in Civil Service for strengthening democracy.

उत्तर: संस्थागत गुणवत्तापरक विनियमन और सेवाओं, संचार आदि को समाहित किया जाता है। संस्थागत गुणवत्ता विकास की संभाव्यता को बढ़ाती है, साथ ही आधुनिक तकनीकियों के माध्यमों से ई-गवर्नेंस और लोकतंत्र को भी सुदृढ़ करती है।

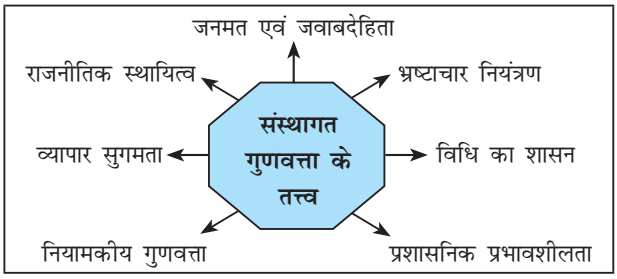

संस्थागत गुणवत्ता के संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सिविल सेवाओं में सुधार:

- राजनीतिक तटस्थता का पालन करते हुये इकाइयों के मध्य समन्वय को बढ़ावा देना।
- व्यापार सुगमता के लिये भ्रष्टाचार, लेटलतीफी, लालफीताशाही को नियंत्रित कर नियामकीय गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।
- नवाचार और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करना।
- प्रदर्शन आधारित आकलन को बढ़ावा देना।
- कैरियर ब्यूरोक्रेसी से इतर नागरिक केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देना।
- नीति निर्माण और राजकोषीय प्रबंधन के मध्य समन्वय स्थापित कर मितव्ययता, कार्य कुशलता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना।
- सिविल सेवा में विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करने के लिये लेटरल इंट्री करना।
- सिविल सेवा के सभी पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों तथा दक्षता के ढाँचे संबंधी दृष्टिकोण के साथ अद्यतन करना।

उपर्युक्त सुधारों को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम 'मिशन कर्म योगी' को मंजूरी दी गई है। इससे मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा को भी बल मिलेगा।

प्रश्न: "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है।" विवेचन कीजिये। (150 शब्द 10 अंक)

"The emergence of Fourth Industrial Revolution (Digital Revolution) has initiated e-Governance as an integral part of government". Discuss.

उत्तर: चौथी औद्योगिक क्रांति पिछली तीन औद्योगिक क्रांतियों से इतर भौतिक व डिजिटल स्पेस के संयोजन पर आधारित डिजिटल क्रांति है, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन क्लाउड कंप्यूटिंग इत्यादि के साथ उत्पादन को समन्वित किया जाता है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से सरकार ई-गवर्नेंस में इसका उपयोग कर रही है।

जीटूसी (G2C)	MyGov, डिजीलॉकर, भीम एप-ई-पाठशाला, कॉमन सर्विस सेटर, उमंग, मोबाइल गवर्नेंस आदि के माध्यम से नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की सुगम पहुँच
जीटूबी (G2B)	व्यापार सुगमता तथा निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु, ई-टेंडर, ई-टैक्सेशन, MCAZI, पोर्टल ई-बिज पहल व श्रम सुविधा पोर्टल
जीटूजी (G2G)	सरकारों और उनकी शाखाओं के मध्य समन्वय हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-ऑफिस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम की सुविधा
जीटूई (G2E)	ई-सैलरी, ई-पेंशन, बायोमेट्रिक उपस्थिति, UAN, ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधाएँ कर्मचारियों की दक्षता को संवर्द्धित करती है।

डिजिटल क्रांति और ई-गवर्नेंस के संयोजन से कागज़ी और मानवीय हस्तक्षेप में कमी आने से सरकारी सेवाओं और योजनाओं की सुदूर क्षेत्र तक पहुँच सुनिश्चित हुई, प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेहिता में इजाफा हुआ, सरकार और जनता के जुड़ाव से नागरिक सशक्तीकरण के साथ ही सामाजिक समावेशिता हुई, लेकिन देश में ई-साक्षरता का अभाव इंटरनेट की सीमित पहुँच, साइबर अपराधों, डिजिटल विभाजन में बढ़ोतरी इत्यादि गुड गवर्नेंस के लिये एक चुनौती के रूप में है।

चौथी औद्योगिक क्रांति के माध्यम से ई-गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल:

अत: औद्योगिक क्रांति के इस चतुर्थ दौर में डिजिटल संप्रभुता और डाटा के स्थानीयकरण की दिशा में वैधानिक प्रावधानों को अमल में लाया जाना चाहिये तथा भारत नेट परियोजना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिये।

2019

प्रश्न: भारत में नीति-निर्माताओं को प्रभावित करने के लिये किसान संगठनों द्वारा क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैं। (150 शब्द 10 अंक)

What are the methods used by the farmers' organizations to influence the policy-makers in India and how effective are these methods?

उत्तर: किसान संगठनों को किसानों की सामूहिक स्व-सहायता कार्रवाई के लिये उन्हें संगठित करने के एक उपयोगी संगठनात्मक तंत्र के रूप में देखा जाता है, जिसका उद्देश्य किसानों की अपनी और अपने समुदायों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाना, सदस्यों की सहायता से संसाधनों के सृजन, समर्थन जुटाने और दबाव बनाना आदि होता है।

संगठनों द्वारा उपयोग किये जाने वाले तरीके

- ये सूचना अभियान, बैठकों के आयोजन, याचिकाओं आदि के माध्यम से अपने लक्ष्यों और अपनी गतिविधियों के लिये जनता एवं मीडिया का समर्थन प्राप्त करते हैं
- महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान समूह अनुकूल MSP और बकाया का भुगतान प्राप्त करने हेतु नीतियों को प्रभावित करते हैं
- प्रतीकात्मक प्रस्तुती तरीके द्वारा भी जैसे राजमार्गों पर दूध और सब्जियाँ बिखेर देना
- हड़ताल द्वारा सामान्य प्रशासन को बाधित करके जैसे कृषि विधेयक के विरोध के समय

इन कदमों ने कभी-कभार ही वांछित परिणामों की पूर्ति की है।

तरीके कितने प्रभावी

- कई नीतिगत सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार उन सुझावों से पूर्ण सहमत नहीं है। उदाहरण-स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को पूरी तरह नहीं लागू किया गया
- आसन्न अशांति की स्थिति में सरकार प्राय: कृषि ऋण माफी, उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों के खातों में नकद हस्तांतरण आदि जैसे अल्पकालिक राहत उपाय अपनाती है

इस प्रकार भले ही विरोध प्रदर्शन और समर्थन जुटाने से जनता और सरकार का ध्यान आकर्षित करने में मदद मिलती है, लेकिन यह भी प्रकट होता है कि इनके वास्तविक परिणाम बेहद कम प्राप्त हुये हैं।

प्रश्न: सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आमतौर पर कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। इन कारकों की पहचान कीजिये और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइये। (150 शब्द 10 अंक)

Implementation of Information and Communication Technology (ICT) based Projects Programmes usually suffers in terms of certain vital factors. Identify these factors and suggest measures for their effective implementation.

उत्तर: I.C.T. वह तकनीक है, जिसके द्वारा सूचनाओं को शुद्ध एवं प्रभावी रूप से प्राप्त करने, संग्रह करने, प्रयोग करने, निरूपित करने तथा स्थानांतरण में सहायता होती है। कुशासन, सरकारी योजनाओं और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को बाधित करने वाला एक प्रमुख मुद्दा रहा है। इसलिये सरकार 'डिजिटल इंडिया', 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' जैसी पहलों के माध्यम से आर्थिक समावेशन और सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने के लिये व्यापक डिजिटलीकरण की ओर आगे बढ़ रही है।

यद्यपि I.C.T. आधारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को आमतौर पर व्यापक जटिल चुनौतियों/कारकों का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें कुछ निम्न हैं–

चुनौतियाँ/कारक

- डिजिटल साक्षरता और तकनीकी ज्ञान की कमी; (उदाहरणत:- भारत के 90% से अधिक आबादी डिजिटल साक्षरता नगण्य है)
- बिजली की कमी और कमज़ोर नेटवर्क गुणवत्ता के कारण भारत बदतर इंटरनेट पहुँच की समस्या से ग्रस्त है।
- निजता संबंधी चिंताएँ (उपयोगकर्त्ता जानकारी की चोरी या इसके दुरुपयोग से संबंधित चिंताएँ मौजूद हैं।)
- पहचान साबित न होने और लाभार्थियों को सेवाओं से वंचित करने से संबंधित मुद्दे। (उदाहरण:- वरिष्ठ नागरिकों के फिंगरप्रिंट मिसमैच होने की समस्या)

प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय

- ❑ सरकारी वेबसाइटों को उपयोगकर्त्ता के अनुकूल बनाया जाना चाहिये; (जिससे दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक भी सुविधापूर्वक उपयोग कर सकें।)
- ❑ अक्षय पात्र फाउंडेशन ने अपने रसोई के डिजिटलीकरण और वास्तविक समाज डेटा संग्रहण के साथ, आँकड़ा संग्रहण की सक्षमता पाई।
- ❑ उपयुक्त अवसंरचना के निर्माण (उदाहरण– CSC की संख्या बढ़ाना और कनेक्टिविटी मुद्दों को संबोधित करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिये)
- ❑ कॉर्पोरेट क्षेत्र को डिजिटल प्रशिक्षण और सामाजिक आवश्यकताओं के लिये तकनीकी समाधान प्रदान करने में, (उदाहरण– CSR का उपयोग करना)

2018

प्रश्न: नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, परंतु इसकी अपनी परिसीमाएँ हैं। परिसीमाओं की पहचान कीजिये तथा नागरिक चार्टर को अधिक प्रभाविता के लिये उपायों का सुझाव दीजिये।

(150 शब्द 10 अंक)

The Citizens' Charter is an ideal instrument of organizational transparency and accountability, but it has its own limitations. Identify the limitations and suggest measures for greater effectiveness of the Citizens' Charter.

उत्तर: नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा व्यवस्थित दस्तावेज है जो किसी संगठन को नागरिक केंद्रित बनाता है। इसका उद्देश्य मुहैया कराई जा रही सेवाओं के संबंध में गैर-भेदभावपूर्ण वितरण, गुणवत्ता, शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना है। नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को पहली बार 1991 में यू.के. के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने रखा।

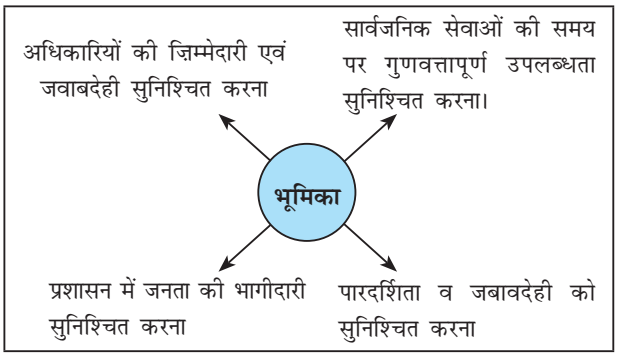

नागरिक घोषणा पत्र की सीमाएँ

- चार्टर लंबे व अस्पष्ट हैं।
- चार्टर में सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण का उल्लेख नहीं है।
- सिविल सेवकों में सेवा दृष्टिकोण का अभाव है।
- जनजागरूकता की कमी।

नागरिक चार्टर को प्रभावी बनाने के उपाय

- आदर्श नागरिक घोषणापत्र संहिता का पालन करना।
- चार्टर बनाते समय शोध व अनुसंधान पर बल।
- नागरिक समाज एवं मीडिया की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करना।
- चार्टर का समय-समय पर मूल्यांकन करना।
- नागरिक चार्टर को वैधानिक दर्जा प्रदान करना।
- चार्टर में ग्राहकों की अपेक्षाओं का उल्लेख करना।

अत: स्पष्ट है कि नागरिक घोषणा पत्र नागरिक सेवाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने तथा सुशासन की स्थापना करने में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है परंतु इसकी कमियों को दूर किये जाने की आवश्यकता है। नागरिक घोषणा-पत्र विधेयक 2011 इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

प्रश्न: "विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतिगत विरोधाभासों के परिणामस्वरूप पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके 'निम्नीकरण की रोकथाम' अपर्याप्त रही है।" सुसंगत उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द 10 अंक)

"Policy contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate 'protection and prevention of degradation' to environment." Comment with relevant illustrations.

उत्तर: पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम सरकार के किसी एक स्तर पर संभव नहीं है। इसके लिये केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न अंग, विभिन्न धार्मिक समुदायों तथा उत्तरदायी निजी क्षेत्रों के बीच नीतिगत उद्देश्यों में स्पष्टता और सामंजस्य होना अनिवार्य है।

भारत में पर्यावरण के निम्नीकरण का मुख्य कारण सरकार के कई स्तरों पर विवादित तथा अस्पष्ट नीति उद्देश्य का होना है, जिसके परिणामस्वरूप विरोधाभासी प्रबंधन निर्णय होते हैं। इसे निम्न उदाहरणों की सहायता से समझा जा सकता है–

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में फर्नेस ऑयल तथा पेट्रोलियम-कोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था।
- हाल ही में केरल में आई त्रासदी पश्चिमी घाट में पर्यावरण निम्नीकरण का ही परिणाम है। (उदाहरणत: पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र को निर्वनीकरण और प्रदूषणकारी क्रियाकलापों के लिये 'नो गो' ज़ोन का केंद्र सरकार का प्रस्ताव राज्यों की त्वरित कार्रवाई के अभाव में अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाया है।)
- जल प्रदूषण (निवारण) एक्ट, 1974 (CPCB का गठन);
- वायु प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) एक्ट, 1981 राज्य बोर्ड को किसी भी ईंधन को 'अनुमोदित ईंधन' घोषित करने का अधिकार देता है।
- यमुना फ्लड प्लेन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को धार्मिक आयोजन की अनुमति देना नीतिगत विरोधाभास का प्रमुख उदाहरण है।
- पर्यावरण संरक्षण एक्ट, 1986 का निर्माण (भोपाल में M.I.C. गैस के रिसाव की समस्या)

इसके अलावा कुंभ मेले के परिणामस्वरूप जल की कमी, एनजीटी के दिशानिर्देश के बावजूद यमुना में मूर्ति विसर्जन आदि कई उदाहरण हैं। अत: सभी प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों को पर्यावरण संरक्षण के मामले में स्पष्ट नीति-निर्माण एवं आपसी तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: ई-शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना के 'उपयोग मूल्य' के क्रांतिक महत्त्व के बारे में है। स्पष्ट कीजिये।

(150 शब्द 10 अंक)

E-governance is not only about utilization of the power of new technology, but also much about critical importance of the 'use value' of information. Explain.

उत्तर: 'ई-गवर्नेंस' इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से गवर्नेंस की व्यवस्था है।

ई-गवर्नेंस निश्चित रूप से नवीन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग पर आधारित है, किंतु इसका महत्त्व लोगों को शासकीय सेवाएँ और सूचनाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराकर तीव्र और पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा प्रशासनिक कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने से है।

I.C.T., आँकड़ों के सक्षम भंडारण और प्राप्ति, सूचना के तत्काल पारेषण, तीव्र गति से सूचना और आँकड़ों के प्रसंस्करण के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं को न्याय संगत, तीव्र और पारदर्शी बनाता है।

ई-शासन में विभिन्न हितधारकों; G2G, G2C, G2B और G2E के बीच सूचना और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि कर क्षमता, कार्य-निष्पादन और उत्पादन को बढ़ाया जाता है।

ई-गवर्नेंस में सूचना के उपयोग मूल्य को सरकारी कार्यकरण की प्रक्रियाओं में I.C.T. के निम्नलिखित अनुप्रयोग से समझा जा सकता है–

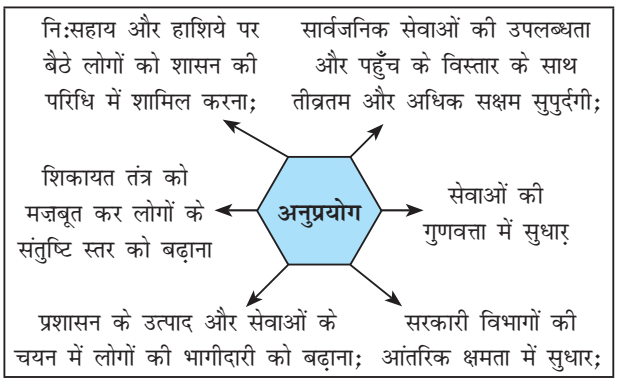

ई-शासन सूचना का तीव्र गति से आदान-प्रदान कर इसके उपयोग मूल्य में वृद्धि करता है और गुड गवर्नेंस को साकार करने का प्रयास करता है।

2017

प्रश्न: भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूहों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं? (150 शब्द 10 अंक)

How do pressure groups influence Indian political process? Do you agree with this view that informal pressure groups have emerged as more powerful than formal pressure groups in recent years?

उत्तर: दबाव समूह ऐसे संगठन हैं, जो अनौपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, न ही अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। इसके बजाय वे अपने सदस्यों के हितों की प्राप्ति के राजनीति को प्रभावित करते हैं। वर्तमान में नागरिक समाज संगठनों को प्रमुख दबाव समूह के रूप में देखा जाता है।

भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह निम्नलिखित विधियों द्वारा प्रभावित करते हैं-

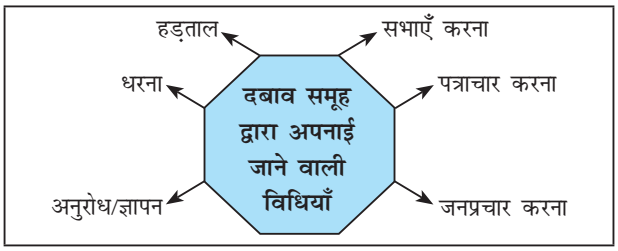

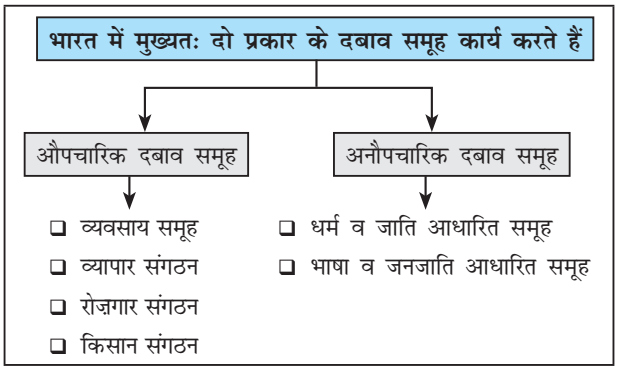

हाल ही के वर्षों में औपचारिक दबाव समूह विविध आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने में असमर्थ रहे हैं, जिस कारण अनौपचारिक दबाव समूह ज्यादा शक्तिशाली रूप से उभरे हैं।

जहाँ औपचारिक दबाव समूह का उद्देश्य कुछ निश्चित कार्यवाहियों को रोकना या नीतियों में सुधार कराना होता है, न कि उन्हें लागू करना तो वहीं अनौपचारिक दबाव समूह उग्रतापूर्ण कार्यवाहियों का सहारा लेते हैं। हाल के दिनों में औपचारिक दबाव समूह आरक्षण की मांग, खान-पान तथा पहनावे को लेकर अधिक उग्र हो रहे हैं, जो भारतीय लोकतांत्रिक संरचना के लिये अच्छा नहीं है।

प्रश्न: प्रारंभिक तौर पर भारत में लोकसेवाएँ तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अभिकल्पित की गई थी, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है? (250 शब्द 15 अंक)

Initially Civil Services in India were designed to achieve the goals of neutrality and effectiveness, which seems to be lacking in the present context. Do you agree with the view that drastic reforms are required in Civil Services? Comment.

उत्तर: भारतीय सिविल सेवा भारत सरकार की ओर से नागरिक सेवा तथा स्थायी नौकरशाही है। सिविल सेवा देश की प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ है। भारत के संसदीय लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के साथ वे प्रशासन चलाने के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।

प्रारंभिक तौर पर भारत में लोकसेवाएँ तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अभिकल्पित की गई थी, किंतु वर्तमान में इनमें निम्नलिखित समस्याएँ दिखाई देती हैं-

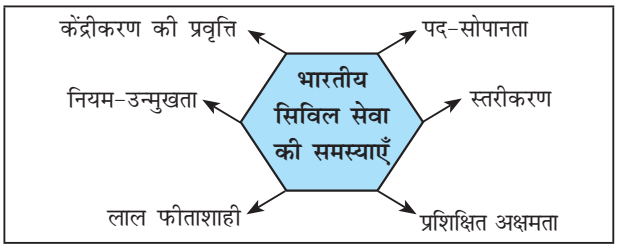

मानव विकास सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक व हंगर इंडेक्स में गिरती भारत की रैंकिंग लोकसेवाओं की गुणवत्तापूर्ण व प्रभावशीलता सवाल खड़ा करती है। साथ ही द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रशासनिक सेवाओं में सुधारों की मांग की है।

सिविल सेवा में अपेक्षित सुधार

- लोक प्रशासन में स्वदेशी तत्त्वों का समावेशन कर भारतीय दर्शन से जोड़ना।
- विशेषज्ञता पर आधारित सिविल सेवा का विकास करना।
- समय-समय पर अनुभव आधारित और व्यावहारिक ज्ञान आधारित नवीन परीक्षाओं का आयोजन करना।

हालाँकि सरकार ने मिशन कर्मयोगी, लेटरल एंट्री, ई-समीक्षा तथा CPGRAMS जैसी पहलों के माध्यम से सिविल सेवा में काफी हद तक सुधार करने का प्रयास किया है, किंतु फिर भी इस दिशा में और कार्य की ज़रूरत है।

2016

प्रश्न: "भारतीय शासकीय तंत्र में गैर-राजकीय कर्त्ताओं की भूमिका सीमित हो रही है।" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (200 शब्द 12½ अंक)

"In the Indian governance system, the role of non-state actors has been only marginal." Critically examine this statement.

उत्तर: गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था से है, जो सरकार का भाग नहीं होते हैं, किंतु सरकार की नीतियों को विभिन्न माध्यमों जैसे लॉबिंग, प्रदर्शन, सहयोग आदि के द्वारा प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन (NGO), दबाव समूह, हित समूह, व्यावसायिक संगठन, समाजसेवी, आंदोलन आदि आते हैं।

भारतीय शासकीय तंत्र में गैर-राजकीय कर्त्ताओं की भूमिका को निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयासों के माध्यम से समझा जा सकता है-

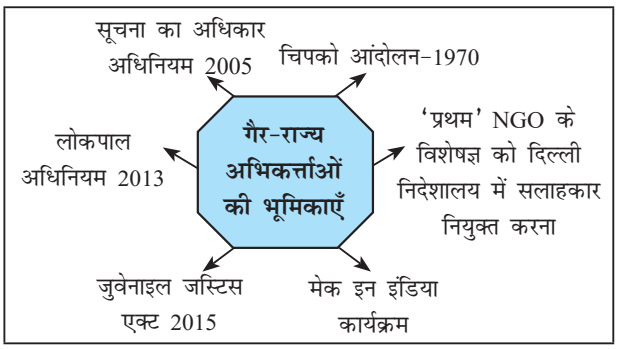

किंतु कुछ कारणों से गैर-राजकीय अभिकर्त्ताओं की भूमिका पर प्रश्नचिह्न भी खड़े हो रहे हैं, जैसे-

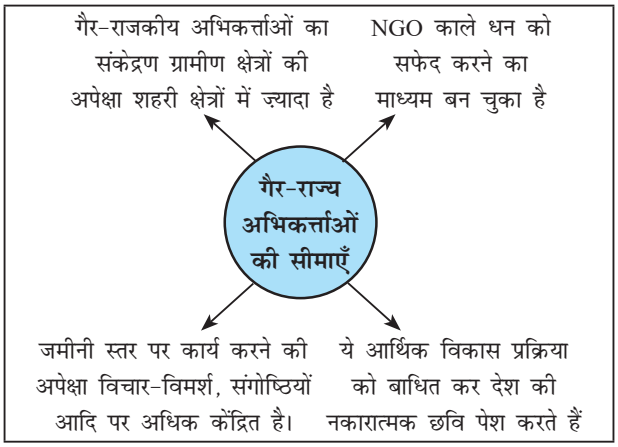

अत: यह कहा जा सकता है कि सरकार अपने विविध स्वरूपों में सभी लोगों तक नहीं पहुँच सकती है। उसे लोगों के कल्याण एवं सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास के लिये गैर-राजकीय अभिकर्त्ताओं की जरूरत पड़ती है, किंतु सरकार को विधि व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाने वाले आतंकियों एवं नक्सलियों के वित्त पोषण करने वाले गैर-राजकीय अभिकर्त्ताओं पर FDRA (Foreign Contribution Regulation Act) तथा अन्य कानूनों के माध्यम से दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिये।

प्रश्न: "पारंपरिक अधिकारीतंत्रीय संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है।" टिप्पणी कीजिये। (200 शब्द 12½ अंक)

"Traditional bureaucratic structure and culture have hampered the process of socio-economic development in India." Comment.

उत्तर: आजादी के बाद ICS को बनाए रखने के पीछे तर्क यह दिया गया कि यह प्रबुद्ध वर्ग तटस्थता एवं वस्तुनिष्ठता के साथ कार्य कर देश की एकता एवं विकास में सहायता देगा, परंतु इसकी औपनिवेशिक संरचना एवं कार्य-संस्कृति जिसमें पद-सोपान, हस्तरीकरण, केंद्रीकरण, नियम-उन्मुखता, लालफीताशाही, प्रशिक्षित अक्षमता, अभिजनवादी शहरी एवं उच्च वर्गीय दृष्टिकोण, भ्रष्टाचार आदि ने भारत के तीव्र विकास में अवरोध उत्पन्न किया है।

स्वतंत्रता से लकर वर्तमान तक लोगों के सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु विभिन्न योजनाएँ चलाने के बावजूद भारत मानव विकास सूचकांक 2022 में 132वें स्थान पर है। नीति आयोग के अनुसार भारत की लगभग 25 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का स्थान 107वाँ है, जो पारंपरिक अधिकारी तंत्रीय संरचना पर सवाल खड़े करते हैं।

सकारात्मक कार्यों को भी संपादित किया है जैसे-

- वी.के. मेनन द्वारा रियासतों के एकीकरण में योगदान।

- तरलोक सिंह द्वारा भारत-पाक विभाजन से उत्पन्न शरणार्थी समस्या को हल करने में योगदान।

यद्यपि पारंपरिक अधिकारीतंत्र से देश के आर्थिक, सामाजिक विकास में जितनी अपेक्षा की गई थी, उतना योगदान नहीं दिया गया, किंतु वर्तमान समय में परंपरागत नौकरशाही संरचना एवं कार्य-संस्कृति में बदलाव आ रहा है। LPG की प्रक्रिया ने विश्व नौकरशाही तथा निजी नौकरशाही से प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। IT का बढ़ना, नागरिक जागरूकता, सिटीजन चार्टर, सेवा का अधिकार आदि ने भारतीय नौकरशाही को विकेंद्रीकृत, विस्तृत कार्य-उन्मुख जग-उन्मुख, नवाचारी, तीव्र लोचदार एवं दोस्ताना बना दिया है।

प्रश्न: "विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन-सहभागिता अन्योन्याश्रित होती है।" भारत के संदर्भ में इनके बीच के संबंध पर चर्चा कीजिये

(200 शब्द 12½ अंक)

"Effectiveness of the government system at various levels and people's participation in the governance system are inter-dependent." Discuss their relationship in the context of India.

उत्तर: किसी भी देश का सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास सरकार एवं जनता के परस्पर सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता पर आधारित होता है। जब शासकीय तंत्र में जन सहभागिता में वृद्धि होती है तो सरकारी तंत्र की प्रभाविता में भी वृद्धि होती है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में समावेशी विकास की अपेक्षा नौकरशाहीकरण, केंद्रीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही में कमी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं में वृद्धि हुई। इन्हीं समस्याओं में वृद्धि हुई। इन्हीं समस्याओं के निराकरण और शासन की प्रभाविता में वृद्धि हेतु सहभागितामूलक लोकतंत्र की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसमें जनता की नीति-निर्माण व उनके क्रियान्वयन में सभी स्तरों पर भागीदारी होती है।

भारत में पिछले कुछ दशकों से शासकीय तंत्र में जनसहभागिता में वृद्धि हुई है, जो निम्न स्तरों पर है-

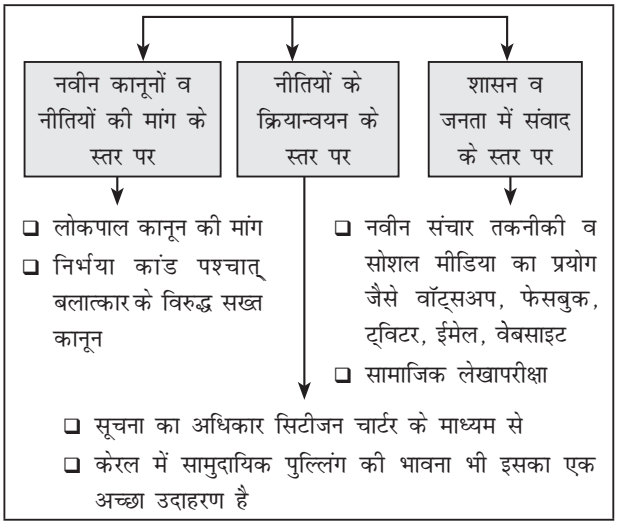

जनसहभागिता में वृद्धि से उत्तरदायी व जवाबदेही शासन एवं प्रशासन की भावना को बल मिला है। साथ ही विशिष्ट व स्वार्थी समूहों की नीति-निर्माण व प्रशासन में दखलअंदाजी में भी कमी आई है, जिससे समावेशी विकास के पथ पर राष्ट्र अग्रसर हो रहा है। इस तरह कहा जा सकता है कि सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जनसहभागिता परस्पर अन्योन्याश्रित है।

प्रश्न: क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में शुरू हुये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की मांगों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया की है? इस महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिये सरकार क्या कर सकती है?

(200 शब्द 12½ अंक)

Has the Indian governmental system responded adequately to the demands of Liberalization, Privatization and Globalization started in 1991? What can the government do to be responsive to this important change?

उत्तर: भारत सरकार ने 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या तथा विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबावों के कारण और तीव्र आर्थिक विकास की इच्छा एवं देश की जनता को बेहतर जीवन प्रदान करने हेतु नई आर्थिक नीति लागू की थी, जिसमें नियमों एवं कानूनों की अल्पता एवं सरलता, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण संबंधी तीन प्रमुख विशेषताएँ मौजूद थीं। इस नीति को लागू करने हेतु सरकार ने समय-समय पर निम्नलिखित प्रयास किये-

- कोटा एवं लाइसेंस राज की समाप्ति
- FERA कानून में सुधार कर FEMA की व्यवस्था की गई, ताकि विदेशी विनिमय में सुविधा हो।
- विनियामकीय संस्थाओं की स्थापना की गई, ताकि सभी को बाजार व्यवस्था में बराबर का मौका मिल सके।
- एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियाँ (MRP Act) कानून की समाप्ति की गई।
- आयात निर्यात कर एवं कानून में बदलाव किया गया।
- चालू खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता तथा पूंजी खाते में
- सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये e-Biz Portal जैसी व्यवस्था प्रारंभ की।
- समय-समय पर सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा में संशोधन कर उसकी दर को बढ़ाया।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त भारतीय सरकारी तंत्र में LPG के प्रति अनुक्रिया करने के लिये ई-गवर्नेंस की अवधारणा लाई गई, सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित कर उनको नई के अनुरूप बनाया गया। कार्यों को समयबद्ध करने के लिये कॉर्पोरेट कल्चर विकसित किया। सरकार के इन उपायों ने देश की अर्थव्यवस्था को काफी लाभ पहुँचाया, जैसे रोज़गार में वृद्धि, गरीबी में कमी, कृषि पर से बोझ का कम होना, सेवा क्षेत्र में तीव्र विस्तार आदि। परंतु कुछ क्षेत्रों में सुधार की गति काफी

धीमी रही, साथ ही समावेशी एवं सतत् विकास को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जैसे-

- पुराने कानूनों में सुधार नहीं कर पाना, जैसे- वन कानून और श्रम कानून।
- ढाँचागत सुविधाओं के विकास में धीमी प्रगति
- दिवालिया कानून का अभाव तथा न्यायिक क्षेत्र में अल्प सुधार।
- उदारीकरण कानून का अभाव तथा न्यायिक क्षेत्र में अल्प सुधार।
- उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण पर राजनीतिक मतभेद।
- परंपरागत नौकरशाही एवं पुलिस व्यवस्था में सुधारों का न होना।

सुझाव-

- उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का लाभ सब तक पहुँचे, इसके लिये रोज़गार, कौशल विकास कार्यक्रम तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन आवश्यक है।
- उच्चस्तरीय स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सब तक पहुँच आवश्यक।
- भारत नवोन्मेष एवं तकनीकी विकास में पीछे है। अत: वित्त की व्यवस्था करवाना एवं अन्वेषण पर ज़ोर देना।
- आर्थिक विकास को पर्यावरण, सतत् एवं समावेशी विकास (SDG) तथा वैश्विक खुशहाली सूचकांक से जोड़ने की आवश्यकता है।

उपरोक्त स्थिति में सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिये कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना की है तथा स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया इत्यादि कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है।

प्रश्न: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ईमानदारी सूचकांक में भारत काफी नीचे के पायदान पर है। संक्षेप में उन विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिये, जिनके कारण भारत में सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास हुआ है? (200 शब्द 12½ अंक)

In the integrity index of Transparency International, India stands very low. Discuss briefly the legal, political, economic, social and cultural factors that have caused the decline of public morality in India.

उत्तर: जर्मनी (बर्लिन) में स्थित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1993 से प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर ईमानदारी सूचकांक प्रस्तुत करती है, जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र, नेता, कॉर्पोरेट्स एवं आम जनता की ईमानदारी को विभिन्न मानकों के आधार पर परखा जाता है और सूचकांक तैयार किया जाता है। 2022 के ईमानदारी सूचकांक के अनुसार भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर था।

भारत के संपूर्ण इतिहास में नैतिकता एवं ईमानदारी की शिक्षा के अनेक उदाहरण मौजूद हैं, फिर भी इस सूचकांक में भारत की निम्न स्थिति हेतु निम्नलिखित कारक ज़िम्मेदार हैं-

कई कानून और नियम अप्रचलित हो गए हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, न्यायिक कार्यवाही में लंबी देरी और सजा की कम गंभीरता, लोकपाल सी.बी.जी., सी.ए.जी. आदि जैसे अतिव्यापी क्षेत्राधिकार वाली कई जाँच एजेंसियाँ प्रवर्तन क्षमता की कमी और नियामक जटिलता भारत की संस्थाओं के प्रमुख कारण हैं। जटिल कानून और प्रक्रियाएँ आम लोगों को सरकार से मदद मांगने से रोकती है।

विधिक कारक

अनुशाासनात्मक शक्तियों के साथ निहित पदानुक्रम में लोग अपने कर्तव्यों से बचते हैं और इसलिये भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ अपनी शक्तियों का उपयोग करने में अनिच्छा रखते हैं।

चुनाव के समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच जाता है। बड़े उद्योगपति चुनावों की उच्च लागत को पूरा करने और अंतत: व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिये राजनीतिक दलों को धन देते हैं। निर्वाचित होने के लिये राजनेता गरीब, अशिक्षित लोगों को रिश्वत देते हैं। राजनीतिक अभिजात वर्ग का उदय जो राष्ट्रोन्मुखी कार्यक्रमों और नीतियों के बजाय हितोन्मुख में विश्वास करता है

राजनीतिक कारक

राजनीतिक वित्त का अपर्याप्त विनियमन

भारत में गरीबी और बेरोज़गारी के कारण बढ़ती असमानताओं ने लोगों को भ्रष्ट आचरण के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रेरित किया देश में वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण कोनी कैपिटलिज़्म का उदय हुआ, जिसमें पूंजीपति एवं सरकार के मध्य गठजोड़ के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया

आर्थिक कारक

देश में गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधाएँ जैसे-स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि भी काफी महँगी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र में वेतन विसंगति भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है

उपभोक्तावाद एवं भौतिकवाद में वृद्धि के साथ व्यक्तिवाद को भी बढ़ावा मिला, जिसके कारण भारतीयों में आध्यात्मिक सुखों की जगह भौतिक सुखों को वरीयता दी और इन भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिये किसी भी साधन (भ्रष्ट साधन भी) को अपनाने से परहेज नहीं किया

भारत में पश्चिमीकरण के प्रभाव से उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप परंपरागत त्याग की भावना की जगह उपभोग की भावना को बढ़ावा मिला, जिसका समग्र परिणाम भ्रष्टाचार में वृद्धि के रूप में सामने आया

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक

देश में गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधाएँ जैसे-स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि भी काफी महँगी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र में वेतन विसंगति भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।

यह सच है कि सरकारी निकायों, अधिकारी तंत्र पर निर्भरता एवं पारदर्शिता के अभाव ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, परंतु भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति की सुदृढ़ होती स्थिति में ईमानदारी एवं सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा एवं कर्त्तव्यनिष्ठ रहे लोगों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

2015

प्रश्न: विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 1976 के अधीन गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तीयन के नियंत्रक नियमों में हाल के परिवर्तनों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (200 शब्द 12½ अंक)

Examine critically the recent changes in the rules governing foreign funding of NGOs under the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), 1976.

उत्तर: भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में आई.बी. की रिपोर्ट एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किये जा रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं के विरोध को ध्यान में रखते हुये विदेशी वितियन के नियत्रंक नियमों में निम्न संशोधन किये हैं-

विदेशी अभिदाप का उपयोग

- ❑ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या पूर्व अनुज्ञा प्राप्त व्यक्ति द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्तियों के उपयोग के विवरण केंद्र द्वारा निदृष्ट वेबसाइट पर अपलोड करना
- ❑ समय सीमा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर

विदेशी अभिदाप का उपयोग

- ❑ व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष की तिमाही में प्राप्त दान की रकम, प्राप्ति की तारीख एवं दान दाताओं के ब्योरे, वेबसाइट पर अपलोड करना
- ❑ समय सीमा उस तिमाही के समाप्ति के पंद्रह दिन के भीतर

बैंक द्वारा केंद्र सरकार को दान का विवरण देना

- ❑ कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, पूर्व अनुज्ञा प्राप्त है या नहीं, के विदेश अभिदाप की प्राप्ति का उपयोग की जानकारी की रिपोर्ट बैंक द्वारा केंद्र सरकार को करना आवश्यक
- ❑ समय सीमा 48 घंटों के भीतर

NGO, से संबंधित नियमों में बदलाव

- ❑ NGO's के पंजीकरण, पंजीयन नवीनीकरण नियमों में बदलाव
- ❑ NGO's को अपने सोशल मीडिया एकाउंट की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य

विदेशी अभिदाप अधिनियम में इन परिवर्तनों की निम्न आधार पर आलोचना की गई-

- ❑ सरकारी हस्तक्षेप में वृद्धि, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
- ❑ NGO's की प्रशासनिक खर्च में वृद्धि, जिससे विकास कार्यों की गति धीमी
- ❑ विदेशी अभिदाप धार्मिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों को भी प्राप्त होते हैं, किंतु FCRA अधिनियम में इन संस्थाओं द्वारा वित्तीय विवरण देने संबंधी पारदर्शिता का अभाव
- ❑ अधिनियम की कुछ धाराएँ अत्यंत अस्पष्ट हैं, ऐसे में सरकार से अलग मत रखने वाले NGO's पर कार्यवाही की संभावनाएँ अधिक

सरकार का यह कदम गैर-सरकारी संगठनों की कार्यप्रणाली पारदर्शिता तथा बेहतर विनियमन हेतु आवश्यक है, किंतु NGO's के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न न हो यह ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये सरकार की योजनाओं की पहुँच के अभाव वाले क्षेत्र में सेवाएँ पहुँचाकर भारत के विकास में योगदान देते हैं।

प्रश्न: "यदि संसद में पटल पर रखे गए व्हिसलब्लोअर्स अधिनियम, 2011 के संशोधन बिल को पारित कर दिया जाता है तो हो सकता कि सुरक्षा प्रदान करने के लिये कोई बचे ही नहीं।" समालोचनापूर्वक मूल्यांकन कीजिये। (200 शब्द 12½ अंक)

"If amendment bill to the Whistleblowers Act, 2011 tabled in the Parliament is passed, there may be no one left to protect." Critically evaluate.

उत्तर: विधि आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर RTI कानून के उपयोग द्वारा भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु व्हिसलब्लोअर्स सुरक्षा अधिनियम 2011 बनाया गया।

इसमें उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिये व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण (संशोधन) बिल 2015 संसद में पेश किया गया।

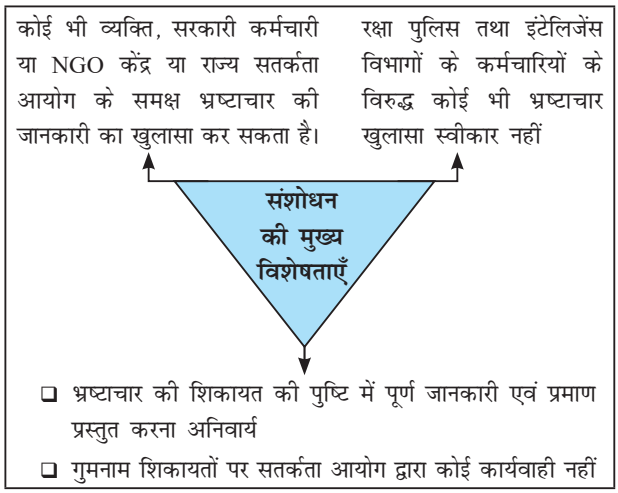

कोई भी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी या NGO केंद्र या राज्य सतर्कता आयोग के समक्ष भ्रष्टाचार की जानकारी का खुलासा कर सकता है।	रक्षा पुलिस तथा इंटेलिजेंस विभागों के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी भ्रष्टाचार खुलासा स्वीकार नहीं

संशोधन की मुख्य विशेषताएँ

- ❑ भ्रष्टाचार की शिकायत की पुष्टि में पूर्ण जानकारी एवं प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य
- ❑ गुमनाम शिकायतों पर सतर्कता आयोग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं

संशोधनों में प्रस्तुत कुछ बदलावों के कारण उत्पन्न विवाद, जो कानून को कमज़ोर बना सकते हैं, निम्नलिखित हैं–

- ❑ सतर्कता आयोग के समक्ष शिकायतकर्त्ता को पहचान बताना अनिवार्य
- ❑ अमेरिका एवं ब्रिटेन के कानूनों में ऐसा नहीं
- ❑ पहचान खुलासे से उत्पीड़न की संभावना, किंतु उससे रक्षा को कोई प्रावधान नहीं
- ❑ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के तहत प्रतिबंधित सूचनाओं के खुलासे को पुन: प्रतिबंधित करने का प्रावधान
- ❑ शिकायतकर्त्ता की बात झूठी साबित होने पर करावास एवं जुर्माना का प्रावधान
- ❑ भारत की संप्रभुता, सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, मंत्रिपरिषद की कार्यवाही, निजता में हस्तक्षेप आदि सूचनाओं (10 श्रेणी) के संबंध में खुलासे करना मना है।

कई प्रकार की सूचनाओं के खुलासे की मनाही तथा शिकायतकर्त्ता को विवरण देना अनिवार्य तथा कई आधार पर सूचना देने से मना करना जैसे प्रावधानों ने अनिधियम के दायरे की सीमित किया है, जबकि दंड के प्रावधान ने शिकायत करने को हतोत्साहित किया है। इन्हीं कारणों से कुछ NGO's तथा RTI कार्यकर्त्ताओं को यह आशंका है कि ऐसे कड़े प्रावधानों के कारण न कोई शिकायत करने जाएगा और न ही किसी को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा एवं असूचना आदि से संबंधित खुलासे पर प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया एवं यू.के. जैसे देश भी हैं। साथ ही झूठी शिकयतों पर दंड का प्रावधान कानून के दुरुपयोग को रोकने में सहायक होगा।

इसलिये यदि गौर से देखा जाए तो इस संशोधन बिल का मूल उद्देश्य व्हिसलब्लोअर के जीवन को खतरे में डालना नहीं बल्कि संतुलन स्थापित करना है, जिससे हितधारकों के लॉकर तथा व्हिसलब्लोअर को सुरक्षा प्राप्त हो सके।

प्रश्न: सत्यम् कलंकपूर्ण कार्य (2009) के प्रकाश में कॉर्पोरेट शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिये लाए गए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिये? (200 शब्द 12½ अंक)
In the light of the Satyam Scandal (2009), discuss the changes brought in the corporate governance to ensure transparency, accountability.

उत्तर: हर्षद मेहता एवं केतन पारिख घोटाले के बाद सत्यम् कंप्यूटर घोटाला (2009) भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र का सबसे बड़ा घोटाला था। रु. 7000 करोड़ के इस घोटाले ने कॉर्पोरेट प्रशासन की संपूर्ण व्यवस्था की विफलता को उजागर किया।

इस घोटाले ने विनियामकीय व्यवस्था, विधि ढाँचे की विफलता के अतिरिक्त, अनैतिक प्रबंधकीय कार्य, बहीखातों से छेड़छाड़, बैंकों की कार्य पद्धति आदि पर तो प्रश्नचिह्न खड़ा किया ही, साथ ही शेयरधारकों के धन, कंपनी के कर्मचारियों का, भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्रों की पहचान तथा स्वयं भारत के सम्मान को भी चोट पहुँचाई है।

इस घोटाले के तुरंत बाद सी.आई.आई (CII) ने सुधार हेतु 2009 में पूर्व कैबिनेट सचिन नरेश चंद्रा की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया। नैस्कॉम (NASSCOM) ने नारायणमूर्ति की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा नैतिक समिति का गठन किया। साथ ही SEBI तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने भी विभिन्न तरह के सुधार किये तथा समाधान सुझाये। इसके अतिरिक्त 2013 के कंपनी एक्ट के तहत भी सुधार के प्रयास किये गए, जो इस प्रकार हैं–

- सत्यम् घोटाले में ऑडिट (अंकेक्षण) एक महत्त्वपूर्ण कारक था। इस कारण अंकेक्षण में चक्रीय बदलाव, अंकेक्षण समिति में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति तथा कोई अंकेक्षक कंपनी उसकी सहयोगी या आनुषंगिक कंपनी के साथ कारोबार संबंध नहीं रख सकती।
- सेवा शर्तों के उल्लंघन का दोषी होने पर अंकेक्षक के खिलाफ जुर्माना दंड व वेतन-भत्तों की वापसी जैसी कार्यवाहियाँ हो सकेंगी व कोई अंकेक्षक 20 से अधिक कंपनियों का अंकेक्षण नहीं कर सकता है।
- मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति अंकेक्षण समिति के सुझाव पर होगी, जिससे मापदंडों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
- कंपनी के बोर्ड में एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अनिवार्य होगी, जिनका कंपनी से कोई आर्थिक या मौलिक लगाव न हो, ताकि निर्णयों में पारदर्शिता एवं शेयरधारकों के हित सुरक्षित रहें।
- व्हिसलब्लोअर कानून लाने की सिफारिश

उपर्युक्त सुधारों ने यद्यपि 2009 से अभी तक किसी बड़े घोटाले को आने से रोक रखा है, परंतु एसोचैम की हालिया रिपोर्ट, स्वतंत्र निदेशक नियुक्ति विवाद आदि कॉर्पोरेट क्षेत्रों में अभी सुधारों की आवश्यकता है।

2014

प्रश्न: क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन भारत में धीमे परिवर्तन का कारण रहा है? समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिये। (200 शब्द 12½ अंक)

Has the Cadre based Civil Services Organization been the cause of slow change in India? Critically examine.

उत्तर: संवर्ग आधारित सिविल सेवा का तात्पर्य एक अस्तित्व अधिकारी का सेवा के प्रारंभ के साथ एक राज्य में नियुक्त होने तथा सेवापर्यंत उस राज्य की सेना में बने रहने से है। भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि क्षेत्र में धीमे परिवर्तन के लिये अनेक कारक ज़िम्मेदार हैं, जिनमें से एक कारक के तौर पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने संवर्ग आधारित सिविल सेवा को भी माना है।

भारत में धीमे परिवर्तन के कारण के रूप में संवर्ग आधारित सिविल सेवा

- प्रशासनिक अधिकारी देश के विस्तृत लक्ष्य को भूलकर राज्य के संकुचित लक्ष्यों को बढ़ावा देना।
- राजनीतिक एवं प्रशासनिक गठजोड़ से भ्रष्टाचार का संस्थागत रूप सामने आया।
- अधिकारियों द्वारा अपनी पसंद का कैडर न मिलने पर अनुमाइंदगी का सहारा लेना जैसे- हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना के संबंध में अधिकारियों के कैडर के पुन: निर्धारण में देखा गया।

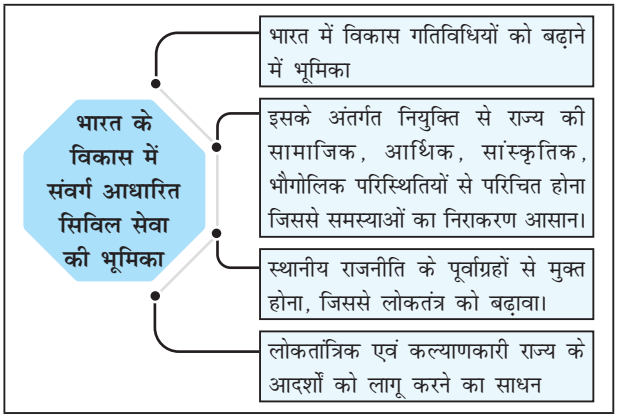

अत: संवर्ग आधारित सिविल सेवा ने कुछ क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य किया है, वहीं कुछ क्षेत्रों में विकास में बाधा भी उत्पन्न की है। अत: विभिन्न समितियों के सुझावों के आधार पर अपेक्षित सुधार करना होना।

प्रश्न: यद्यपि 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) पहले से व्यापार प्रकाशन और सामान्य मनोरंजन चैनल जैसे समाचार-इतर मीडिया में अनुमत है, तथापि सरकार काफी समय से समाचार मीडिया में वर्धित एफडीआई के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। एफडीआई में बढ़ोतरी क्या अंतर पैदा करेगी? समालोचना पूर्वक इसके पक्ष-विपक्ष का मूल्यांकन कीजिये। (200 शब्द 12½ अंक)

Thought 100 percent FDI is already allowed in non-news media like a trade publication and general entertainment channel, the Government is mulling over the proposal for increased FDI in news media for quite some time. What difference would an increase in FDI make? Critically evaluate the pros and cons.

उत्तर: समाचार सेवा में वर्तमान में 26 प्रतिशत FDI की अनुमति है, जिसका तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में मालिकाना हक एवं प्रबंधन में अभी भी भारतीय को बढ़त हासिल है। 49 प्रतिशत FDI में भी यही स्थिति बनी रहेगी, परंतु 100 प्रतिशत FDI की स्थिति में प्रबंधन एवं मालिकाना पूर्णत: विदेशी संस्था के हाथों में होगा।

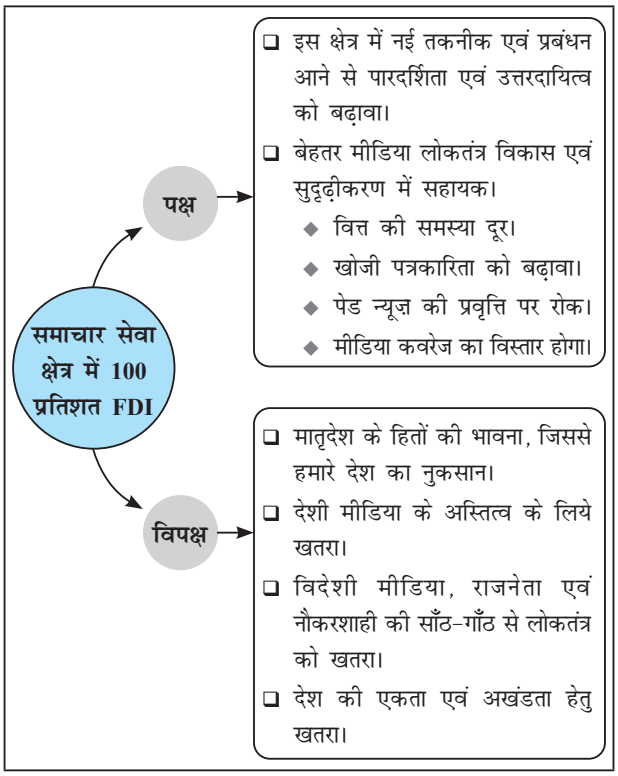

चूँकि सूचना लोकतंत्र का आधार है, इस कारण सूचना की गुणवत्ता एवं आमजन तक इसकी पहुँच आज की संपूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता है। इसकी बेहतर पूर्ति हमारा अधिकार है, परंतु इसके लिये अपनी स्वतंत्रता एवं सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। इस कारण मीडिया में 100 प्रतिशत FDI लाने से पूर्व उसकी हानियों से बचने के लिये बेहतर रणनीति के साथ समन्वित नीति को बनाया जाना आवश्यक है।

2013

प्रश्न: यद्यपि अनेक लोकसेवा प्रदान करने वाले संगठनों ने नागरिकों के घोषणा पत्र (Citizen Charter) बनाए हैं, नागरिकों पर दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों की संतुष्टि स्तर में अनुकूल सुधार नहीं हुआ है। विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द 10 अंक)

Though Citizen's charters have been formulated by many public service delivery organizations, there is no corresponding improvement in the level of citizens' satisfaction and quality of services being provided. Analyze.

उत्तर: नागरिक घोषणापत्र एक ऐसा लिखित दस्तावेज़ होता है, जिसमें संगठन की सूचनाएँ, मानक, पसंद, सेवाओं की भेदभाव रहित पहुँच के साथ-साथ शिकायत निवारण एवं शिष्टाचार के संबंध में नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धताओं का व्यवस्थित विवरण होता है।

नागरिक घोषणा-पत्र की शुरुआत 1991 में **जॉन मेयर** द्वारा **यूनाइटेड किंगडम** में की गई थी। भारत में इसकी शुरुआत **1997** में हुई, परंतु भारत में लगभग 20 वर्ष बाद भी इससे नगरिकों को कोई लाभ नहीं हुआ। जिसके निम्नलिखित कारण बताए गए–

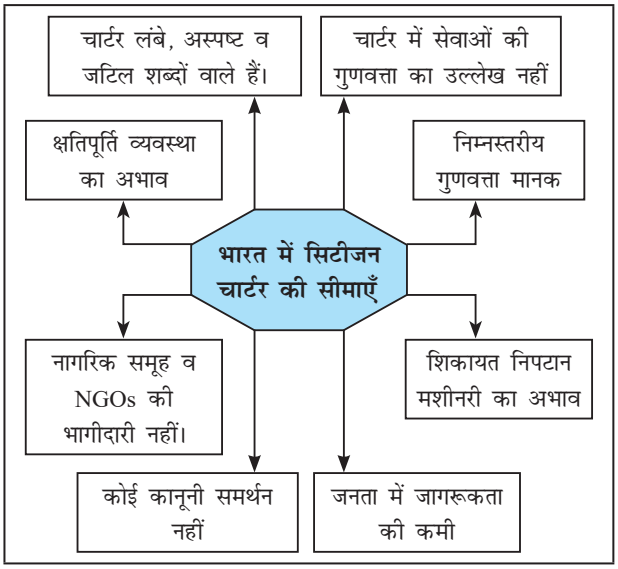

उपरोक्त सीमाओं के बावजूद भी यदि निम्नलिखित बिंदुओं को सुधार के रूप में लागू किया जाए तो निश्चित ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे–

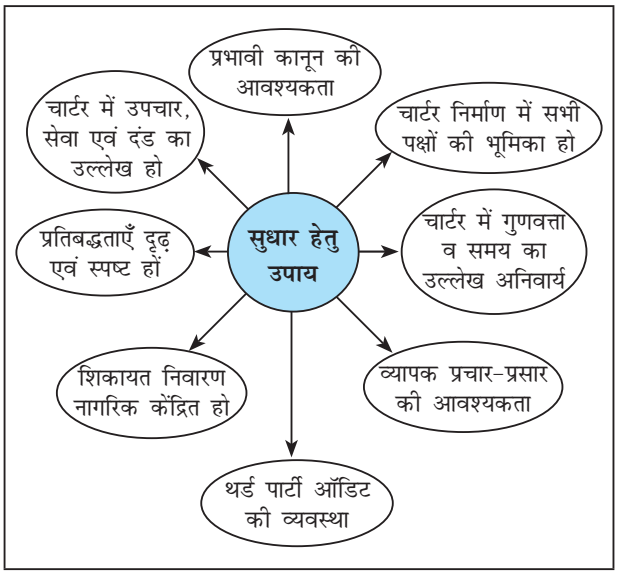

चूँकि नागरिक घोषणा-पत्र के माध्यम से 'गुड गवर्नेंस की अवधारणा' को बल मिलता है, जो आर्थिक व सामाजिक प्रगति के लिये आवश्यक है। अत: भारत में इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिये **'सिटीजन चार्टर बिल 2011'** जैसे अधिनियम की आवश्यकता है।